

मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (UPSBC) की दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को लोक भवन में स्थित सभाकक्ष में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-संलग्नानुसार

बैठक में उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (UPSBC) की बैठक के एजेण्डा का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार-विमर्श का विवरण निम्नवत् है:-

1. Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI), 2026-2027 -

दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 44(1)/PF-S/2026-27 (CAPEX) दिनांक 27 मार्च, 2026 के बिन्दु संख्या-15 के Part-VI में (Implementation of the Right of Way Rules, 2024 under the Telecommunications Act, 2023) में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 31 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ₹0 4000.00 करोड़ में से उत्तर प्रदेश राज्य को ₹0 250.00 करोड़ 50 वर्ष हेतु ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग आई0टी0 एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग किसी भी Capital मद में कर सकता है। उक्त धनराशि को उत्तर प्रदेश राज्य के पक्ष में निर्गत किया जाना कतिपय शर्तों/ अनुपालन के अधीन है, जिनमें से अधिकतम शर्तें पूर्व से ही उत्तर प्रदेश राज्य में क्रियान्वित हैं।

1.1 अवगत कराया गया कि राइट ऑफ वे (RoW) से सम्बन्धित शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग द्वारा पृथक से निर्गत किए जा चुके हैं, परन्तु लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत नहीं किए गए हैं।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अपने स्तर से शासनादेश संख्या 46/2024/1791/ 78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के अनुपालन के क्रम में पृथक से शासनादेश निर्गत करें तथा SASCI 2026-2027 की गाइडलाइन्स में उल्लिखित शर्तों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही - दूर संचार विभाग, भारत सरकार; लोक निर्माण, ऊर्जा तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)

1.2 संज्ञान में लाया गया कि Amended Bharatnet Programme के अन्तर्गत State Support Agreement के परिशिष्ट (Addendum) को राज्य सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) की प्रति भारत संचार निगम लिमिटेड एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कर राज्य सरकार

को उपलब्ध कराई गई है; राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुबन्ध का परिशिष्ट (Addendum) हस्ताक्षरित किया जाना है।

State Support Agreement के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा कतिपय आपत्तियां उठाई गईं।

समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि आईटीओ एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग दूर संचार विभाग के सहयोग से उक्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए जाने की दिशा में अग्रतर कार्यवाही करे।

(कार्यवाही - आईटीओ एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग; दूर संचार विभाग, भारत सरकार; ऊर्जा एवं पंचायती राज विभाग)

1.3 दूर संचार विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि Amended Bharatnet Programme के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए जा रहे विद्युत कनेक्शन को सरकारी कनेक्शन के समान माना जाए। इसके अतिरिक्त सभी डिस्कॉम में Common Application Form तथा Composite Billing की सुविधा लागू कर दी जाए।

इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि Common Application Form पूर्व से ही विभाग में लागू है तथा Composite Billing पर कार्यवाही प्रचलित है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाए।

(कार्यवाही - ऊर्जा विभाग)

2. दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण टैलीकॉम अवसंरचना स्थापित किए जाने पर अतिरिक्त रूप से आवेदन शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क की मांग कर रहे हैं, जोकि राज्य में अंगीकृत शासनादेशों के विपरीत हैं।

समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग शासनादेश संख्या 46/2024/1791/78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के अनुपालन के क्रम में अतिशीघ्र पृथक से शासनादेश निर्गत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)

3. संज्ञान में लाया गया कि मानसून सीजन में ऑप्टिकल फाइबर केबिल के आवेदनों को सम्बन्धित विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, जिससे आवेदक को दोबारा से आवेदन करना पड़ता है।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित विभाग मानसून सीजन में ऑप्टिकल फाइबर केबिल के आवेदनों को निरस्त न करते हुए स्वीकृतियां निर्गत करें तथा विशेष परिस्थितियों

में कार्य प्रारम्भ किए जाने की सीमा को आगामी दिनांक 15 सितम्बर अथवा दिनांक 30 सितम्बर के उपरान्त प्रारम्भ किए जाने हेतु पृथक रूप से सूचित कर दें।

(कार्यवाही - नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन एवं लोक निर्माण विभाग)

4. समिति के समक्ष यह बिन्दु रखा गया कि भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन द्वारा पत्र संख्या 1-5/2022-NBM-NBMPortal दिनांक 07 अगस्त, 2025 निर्गत किया गया है, जिसको राज्य सरकार को अंगीकार करते हुए भारत सरकार के राइट ऑफ वे (RoW) पोर्टल पर ही समस्त कार्यवाहियों की जानी हैं।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त व्यवस्था को अंगीकार करते हुए भारत सरकार के राइट ऑफ वे पोर्टल पर ही समस्त कार्यवाहियां की जाएं।

(कार्यवाही - आईटीओ एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं यूपीएलसी)

5. दूर संचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि CBuD App का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, परन्तु राज्य में किए जा रहे उत्खनन की सूचना को CBuD App पर प्रविष्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे राज्य की भूमिगत सम्पत्ति की क्षति हो रही है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त सम्बन्धित विभाग यथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग तथा नमामी गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग आदि अपने स्तर से CBuD App का उपयोग अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु अपने स्तर से शासनादेश निर्गत करें तथा समय-समय पर दूरसंचार विभाग, भारत सरकार सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर App के उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - दूर संचार विभाग, भारत सरकार; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा, जल निगम, नमामी गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

6. यह बिन्दु भी संज्ञान में लाया गया कि वन भूमि में 4G सैचुरेशन परियोजना के अन्तर्गत मोबाइल टावर स्थापित किए जाने पर Lease Rent तथा Premium Charges पर छूट प्रदान की जाती है, जिसके अनुसार 4G सैचुरेशन परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि पर Optical Fiber Cable बिछाए जाने पर भी छूट प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में वन विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाए।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

7. दूर संचार विभाग द्वारा मोबाइल टावर्स पर उपलब्ध Conventional Meters को Smart Meters से प्रतिस्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थापित सभी मोबाइल टावर्स पर आगामी तीन माह में यथासम्भव Smart Meters स्थापित करा दिए जाएं।

(कार्यवाही - ऊर्जा विभाग)

8. Digital Infrastructure Providers Association (DIPA) के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गैर सरकारी भूमि/ भवन पर मोबाइल टावर स्थापना सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित प्राधिकरणों/ निकायों द्वारा आवेदन Acknowledge करने में काफी विलम्ब किया जाता है। अतएव भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार पोर्टल में मात्र आवेदक द्वारा Intimation किए जाने का प्रावधान रखने तथा प्राधिकरणों/ निकायों द्वारा Acknowledge किए जाने की प्रक्रिया हटाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पोर्टल में यथा आवश्यक संशोधन करा लिया जाए।

(कार्यवाही - आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं यूपीएलसी)

9. समिति से अनुरोध किया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा लागू औद्योगिक टैरिफ, जो वर्तमान में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अन्तर्गत डेटा सेंटरों पर प्रचलित है, उसी प्रकार दूरसंचार क्षेत्र में भी वाणिज्यिक दरों के स्थान पर औद्योगिक/ विशेष टैरिफ के रूप में लागू किया जाए, जैसा कि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में प्रचलित है।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि ऊर्जा विभाग द्वारा लागू औद्योगिक टैरिफ, जो वर्तमान में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अन्तर्गत स्थापित डेटा सेंटरों पर प्रचलित है, के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र में भी वही टैरिफ लागू किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही - ऊर्जा विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
ALOK KUMAR

Date: 25-04-2026

12:15:53

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आईओटीओ एवं इलैक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1
सं0-454/78-1-2026-1182586
लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2026

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उओप्रओ शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उओप्रओ शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, आईओटीओ एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, उओप्रओ शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, नगर विकास; लोक निर्माण; वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; आवास एवं शहरी नियोजन; पंचायती राज; ग्राम्य विकास; गृह; ऊर्जा; राजस्व; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उओप्रओ शासन।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उओप्रओ लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
7. आईओजीओ, सीमा सुरक्षा बल (SSB), लखनऊ फ्रंटियर, विभूति खण्ड, लखनऊ।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, उओप्रओ, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उओप्रओ पावर कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, जलनिगम-नगरीय/ग्रामीण, उओप्रओ, लखनऊ।
12. विशेष महानिदेशक, दूरसंचार, भारत सरकार, Delhi LSA, नई दिल्ली।
13. सलाहकार/ Sr. DDG of DoT of the UP (East) & UP (West) LSAS, दूर संचार विभाग, भारत सरकार (सदस्य संयोजक)।
14. CGM, BSNL, UP (East) and UP(West) Telecom Circles.
15. CGM, BBNL, State Head UP (East) & UP (West).
16. प्रतिनिधि, COAI.
17. प्रतिनिधि, TAIPA.
18. प्रतिनिधि, ISPA.
19. प्रतिनिधि, DIPA.
20. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Neha Jain
Date: 25-04-2026
12:55:15

आज्ञा से,

(नेहा जैन)

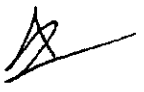
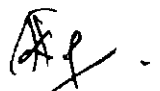
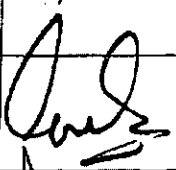
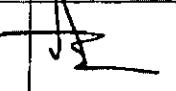
विशेष सचिव।

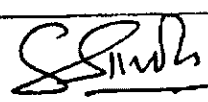
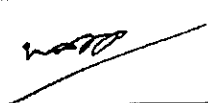
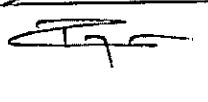
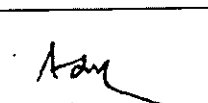
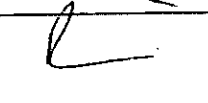
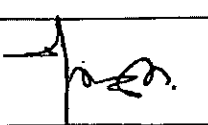
मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (SBC) की बैठक के संबंध में दिनांक 17-04-2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आहूत बैठक की उपस्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं०/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.	शशीभूषण	युवा सचिव	पंचायत/रूर		
2.	अन्नावि दिनेश कुमार	विशेष सचिव	गृह विभाग	8787085157	
3.	मनेज कुमार सिंह	विशेष सचिव	ग्राम्य विकास	9454411873	mike
4.	अमरेश कुमार	अतिरिक्त	भूखण्ड विकास	9897981983	
5.	Isam Singh	Director	R.E.D	9453043336	
6.	डी. पी. गिरि	सचिव	HW	8787221670	12
7.	चंद्रशेखर सिंह	SE	PWD	98911157552	ca
8.	राजेश कुमार	विशेष सचिव	कारागार	9458425800	
9.	Arun Prakash	Special Secretary	Revenue	9412358743	je.
10.	Sanjay Kumar Pur bey	SE	SSB	8294708126	jay
11.	Rajesh Thakur	DCI	SSB	9682582141	
12.	Himanshu Kanshik	MD, VPLC	Dept of IT & Electronics	8800925669	Him

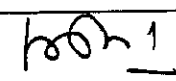
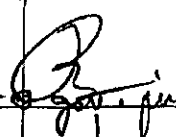
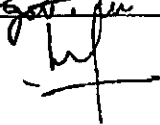
13.					
14.	LALIT K. VERMA	APCCF (NODAL)	FOREST	7039435393	
15.	Hellali Zhiavani	50 रजिस्ट्रार	वन विभाग		
16.	Ashutosh Mishra	SP Housing and Welfare PHD	Police	9404004000	
17.	Vijal Timpale	Nodal Officer	Indus Tower	97631969020	Vijal
18.	SI				
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (SBC) की बैठक के संबंध में दिनांक 17-04-2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आहूत बैठक की उपस्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं०/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.					
4.	श. के. वर्मा	Addl. DG. UPE, DOT	DOT.	941200651 8006001177	
5.	श. के. गार्गि	CG M. BSNL UPE	BSNL	9415050005	
6.	A.R. Mishra	DDG(A)	DOT.	9415011900	
7.	Amit Kumar	ADD (R2)	DOT	9999208615	
8.	Prasoon Chandra	DDG-RI	UPE, DOT	9450009001	PC
9.	Naveen Gupta	DDG(RI)	UPW, DOT Meerut	9426001668	NG
10.	Rajendra	PGM(GM)	UPE BSNL	9415400000	
11.	Atul Sharma	PGM (Tx)/ PGM (CM)	UPE BSNL	9455005550	
12.	Abhinav Kumar Verma	DGM (NMPGM)	BSNL UPE	9412000529	Abhinav

13.	Shaulendra Syrn	DGM(CB)	Bhoretnet	9415010345	
14.	344-913 154161	Farb & Hira	111. Bani	9415459450	
15.	Purbhathi Kumar	Spl. Secy	Namami Ganga	8860201547	
16.	A.K. Singh	C.E (R) UPSN (R)	UPSN (Rum)	9473443005	
17.	Rajesh Kumar	Tech. Supv. Police		9454400448	
18.	SANTOSH SINGH	GM VIL	VIL	9709018500	
19.	राज कुमार	संयुक्त सचिव	IID	9454413566	
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (SBC) की बैठक के संबंध में दिनांक 17-04-2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आहूत बैठक की उपस्थिति:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं०/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.	R K Singh	Asst	Bene	9415149444 gmsingh@up2@gmail.com	
2.	Mohd Imran	EE	UPIN-Rural	8004861974 mohd.imran2525@gmail.com	
3.	Pramod Kumar	Asst. Engr.	UP. I. Tech. Surv.	7019050232 pramodkumar2.in	
4.	Prashant Kumar	Director	U.P.P.C.L	9313553185 Directorcomm@uppccl.org	
5.	Ravi Kumar	Asst Director	DOT	9417667000 adri.up2-dot-dot-dot@gmail.com	
6.	Yogendra Kumar	Dy Director	I. Proj	Up.panchayati raj @gmail.com	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					